न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 01 / 2017

1 मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी वाके देह ग्राम बुडानिया जरिये पुजारी नेक्स्ट फ्रेन्ड देवकरण पुत्र स्व. चिरंजीलाल जाति स्वामी निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 मक्खनलाल पुत्र स्व. कानाराम
2 मृतक भागीरथ पुत्र स्व. कानाराम
3 सतवीर दत्तक पुत्र स्व. भागीरथ
4 लालचन्द पुत्र स्व. कानाराम
5 फूलाराम पुत्र स्व. पन्नाराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी वाजाराम की ढाणी तन बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय / आदेश दिनांक 15.11.2016 द्वारा पीठासीन अधिकारी श्री राजीव आचार्य आरएएस न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) चिड़ावा बउनवान प्रकरण मुर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी बनाम मक्खनलाल आदि बाबत प्रकरण हुक्म उदूली मु.नं. 290 / 2023 (158 / 2010)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री धर्मपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 290/2023 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने अवमानना प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत अवमानना विचारण न्यायालय स्थगन आदेश दिनांक 13.12.2010 प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 3.84 हैक्टेयर के पश्चिम में करीब एक हजार वर्गमीटर पर किये गये अतिक्रमण में पहले कुछ समय एक छप्पर और फिर खुड्डिया बनाई थी और आदेश दिनांक 31.07.2008 के यथास्थिति के अंतरिम आदेश के बावजूद उक्त बाड़े में दो कमरे पश्चिम देखते हुये व एक छप्पर स्थायी तौर पर बना लिये और उक्त दोनों कमरों के नया प्लास्टर भी कर लिया। उक्त भागीरथ की मृत्यु दिनांक 02.01.2008 के बाद उसका पत्र सतवीर पहले से ही अपने पिता भागीरथ का उक्त अतिक्रमण बाड़े में सहयोग करता रहा है और अब उक्त अप्रार्थीगण ने आपस में साझकर अनावेदक सतवीर पुत्र भागीरथ के नाम से गत 09.10.2009 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय बगड़, जिला झुन्झुनूं में उक्त अवैध निर्मित मकान में विद्युत कनेक्शन के लिए निवेदन किया, जिस पर बिना उचित जांच के उक्त निगम में उक्त सतवीर को उक्त विद्युत निगम की औपचारिकताए पूरी करके विद्युत कनेक्शन दे दिया,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जबकि ऐसा करने का उक्त विद्युत निगम को कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि उक्त सतवीर अन्य सह अतिक्रमी मक्खनलाल, लालचन्द व फुलाराम के साथ खुद भी एक अतिक्रमी ही है। आवेदक की ओर से एडब्ल्यू–1 देवकरण ने अपने शपथ पत्र बयानों व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 7 से पूर्ण रूप से साबित किया है जिसकी ताईद एडब्ल्यू–2 जयराम गुर्जर ने भी की है। अनावेदकगण को इनके द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के आपराधिक कृत्यों के लिये 3–3 माह के सिविल कारावास व पांच–पांच हजार रूपये के अर्थ दण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया जावें। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किए बिना अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का यह विवेचन कि मूलवाद का निस्तारण होने के उपरांत अवमानना प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार कर अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 1997 एससी पेज 1240, एआईआर 1988 ओड़िसा पेज 284, एआईआर 1987 गुजरात पेज 160, एआईआर 1987 ओड़िसा 171, एआईआर 1978 गोवा दमन एण्ड दिव पेज 33, 34, एआईआर 1999 राज. पेज 6 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की अवमानना के प्रमाणिकरण के लिए किसी प्रकार का फोटोग्राफ, मौका रिपोर्ट, एफआईआर, पुलिस कार्यवाही विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। साक्ष्य के अभाव में अवमानना साबित नहीं होने से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। सिविल प्रकिया संहिता 1908–आदेश 39, नियम 2 ए व आदेश 21, नियम 32– न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971–धारा 2– आदेश 39 नियम 2 ए के अन्तर्गत कार्यवाही वाद के निस्तारण के बाद पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011–12 (सप्ली.) पेज 519 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की अवमानना के प्रमाणिकरण के लिए किसी प्रकार का फोटोग्राफ, मौका रिपोर्ट, एफआईआर, पुलिस कार्यवाही विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। साक्ष्य के अभाव में अवमानना साबित नहीं होने से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। सिविल प्रकिया संहिता 1908–आदेश 39, नियम 2 ए व आदेश 21, नियम 32– न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971–धारा 2– आदेश 39 नियम 2 ए के अन्तर्गत कार्यवाही वाद के निस्तारण के बाद पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

विधिक प्रावधानों के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011–12 (सप्ली.) पेज 519 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि **'Code of Civil Procedure, 1908- Order 39, Rule 2-A & Order 21] Rule 32-Contempt of Courts Act, 1971-Sec. 2-Proceddings u/Order 39, Rule 2-A is not maintainable after disposal of the suit-Aggrieved person can avail the remedy u/order 21, Rule 32 C.P.C.'**

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)